

राजस्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आधारित गगि वर्कर्स के कल्याण के लिये वधियक पारति करने वाला पहला राज्य बना

चर्चा में क्यों?

24 जुलाई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राज्य वधानसभा ने राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गगि कर्मकार (रजसिद्रीकरण और कल्याण) वधियक-2023 पारति कया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आजीविका अर्जति कर रहे लाखों गगि वर्कर्स के कल्याण के लिये वधियक पारति करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है।

प्रमुख बदि

- राज्य सरकार ने ओला, स्वर्गी, उबर, जोमेटो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गगि वर्कर्स के रूप में जुड़े लाखों युवाओं को सौगत दी है। इन गगि वर्कर्स के हतियों का संरक्षण कर अब उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- इस वधियक के माध्यम से बनने वाले अधनियम के अंतर्गत राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गगि कर्मकार कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। साथ ही राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गगि कर्मकार सामाजिक सुरक्षा और कल्याण नधि का गठन कया जाएगा।
- यह बोर्ड प्लेटफॉर्म आधारित गगि वर्कर्स का पंजीकरण सुनश्चिति करेगा। साथ ही पंजीकृत गगि वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिये योजनाओं को मॉनटर करने के साथ ही ऐसी योजनाओं के प्रशासन के लिये राज्य सरकार को अपनी सफिरशि देगा।
- बोर्ड यह भी सुनश्चिति करेगा कइिन योजनाओं के अनुसार फायदों तक गगि वर्कर्स की पहुँच हो और उनके कार्य करने की स्थिति बेहतर हो। यह बोर्ड गगि वर्कर्स के अधिकारों से संबंधित शकियातों और अधनियम के प्रावधानों के क्रयान्वयन से संबंधित मामलों का समयबद्ध नविरण भी सुनश्चिति करेगा।
- गगि वर्कर्स के पंजीकरण के लिये एग्रीगेटर अधनियम के लागू होने के 60 दिनों में गगि वर्कर्स का डेटा बेस राज्य सरकार को उपलब्ध कराएंगे। राज्य सरकार एग्रीगेटर का रजसिदर अपने वेब पोर्टल पर प्रकाशित करेगी।
- इस अधनियम से गगि वर्कर्स को राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी मलि सकेगा और उनकी शकियातों पर उन्हें सुनवाई का अवसर प्राप्त होगा।
- गगि वर्कर्स का बोर्ड में प्रतनिधित्व भी होगा, जिससे वे उनके कल्याण के लिये लिये जाने वाले नरिण्यों में भाग ले सकेंगे। अधनियम के अंतर्गत गगि वर्कर्स के लिये शकियात नविरण तंत्र की स्थापना की जाएगी, जिसके समक्ष व्यक्तशि: अथवा ऑनलाइन माध्यम से याचिका प्रस्तुत की जा सकेगी।
- वर्तमान आर्थिक परदृश्य में कम कौशल वाले युवाओं के लिये गगि कार्य से रोजगार की व्यापक संभावनाएँ हैं। अर्थव्यवस्था और रोजगार में बड़े योगदान के बावजूद गगि वर्कर्स अभी तक श्रम कानूनों के दायरे में नहीं आते हैं। ऐसे में उन्हें पारंपरिक कर्मचारियों की तरह संरक्षण नहीं मलि पाता है। इस अधनियम से गगि वर्कर्स के हतियों का संरक्षण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मलि सकेगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में गगि वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व शोषण से बचाने के लिये गगि वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाने तथा इसके अंतर्गत गगि वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने 200 करोड़ रुपए की राशि से गगि वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड के गठन की भी घोषणा की थी।